

कब्रिस्तान की घेराबंदी

- उद्देश्य:—राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना कार्यान्वित की जाती है।
- स्वरूप :—विभिन्न कब्रिस्तानों में आवश्यकता के अनुसार चहारदिवारी का प्राक्कलन संबंधित जिला तथा मेसो स्तर पर तैयार किया जाता है जिसकी स्वीकृति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लिए राशि संबंधित जिला/मेसो कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।
- प्रक्रिया :— योजना का चयन संबंधित मेसो परियोजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाता है एवं योजना का कार्यान्वयन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।